पत्रांकः- पत्रांकः-भवन/स्था0-02-विविध-14/2019 पार्ट-V.....

बिहार सरकार,

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई0 सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना।

पटना, दिनांकः.....

विषयः- **Permission related to Industrial Training/Internship दिनांकः- 04.11.2026 से 01.12.2026 तक में भाग लेने के संबंध में।**

प्रसंगः- 1. Government Engineering College, Kaimur, Letter No.:- 151, Dated- 26.10.2026
2. Exalt College of Engineering & Technology, Hajipur Letter No.- 001 Dated- 27.10.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा Government Engineering College, Kamiur एवं Exalt College of Engineering & Technology, Hajipur के 02 (दो) छात्र/छात्राओं (B.Tech in Civil Engg.) को Industrial Training/Internship कराने हेतु अनुरोध की गई है। उक्ते आलोक में प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं को अपने प्रमंडल के अन्तर्गत चल Projects से जोड़कर नियमानुसार प्रशिक्षण दिए जाने संबंधी कार्रवाई की जाए।

S.No.	Name of Student	Roll No, PAR & Registration	Name of College	Reference No.& Date	Alloted
1.	**Utkarsh Raj**	**23101148026**	Government Engineering College, Kaimur	Letter No.- 151 Dated- 26.10.2026	Office of the Executive Engineer, Construction Division - 2, Patna
2.	**Rahul Kumar**	**240101122902**	Exalt College of Engineering & Technology, Hajipur	Letter No.- 001 Dated- 27.10.2026	Office of the Executive Engineer, Construction Division - 2, Patna

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक बिन्दुः-

1. कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं का पहचान पत्र एवं अंक पत्र सत्यापन के पश्चात् प्रशिक्षण करायेगें।

2. छात्र/छात्राओं को योगदान करने एवं आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इन्हे नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई सुविधाएँ एवं भत्ता देय नहीं होगा।

3. छात्र/छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

4. छात्र/छात्राओं के ऊपर प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उन्हे प्रशिक्षण से तत्काल निष्कासित करते हुये संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सूचित किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदपि संबंधित प्रशिक्षु को एक प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

6. उक्त प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं दिनांकः- 04.11.2026 से 01.12.2026 तक Industrial Training/Internship में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेगें।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-..... **पटना, दिनांकः-**.....

प्रतिलिपिः- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-10369 (भ) **पटना, दिनांकः-**02/11/26

प्रतिलिपिः-आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशित।

02.11.26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।